न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां
निर्णय वइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 64/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 27.07.2017
निर्णय दिनांक :– 23.09.2019

उनवान

रजिया खानम पत्नी रईस अहमद जाति मुसलमान निवासी छबडा जिला बारां (राज.)

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र नटवर लाल जाति दर्जी निवासी दर्जी मोहल्ला छबडा
2. राहुल पुत्र नटवरलाल जाति दर्जी निवासी दर्जी मोहल्ला छबड़ा।
3. सावित्री पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी चाचौड़ी दरवाजा छबडा तहसील छबडा जिला बारां
4. पानाबाई पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी चाचौड़ी दरवाजा छबडा तहसील छबडा जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :–23.09.2019

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अब्दुल हसीब आलम – वादी
2. श्री भगवान बलरिया – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगणों के धारा 188 आर.टी.ए. विरूद्ध वादीगणों के इस आशय का इस न्यायालय मे पेश किया गया है, , कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 440 की भूमि खसरा नंबर 929 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 984 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 12 बिस्वा कुल किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके माल छबडा तहसील छबडा मे स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 3/5 है, तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 3 तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 5 का है। सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त कर रहे है।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थीया से अकारण ही रंजिश रखते है, तथा प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की भूमि मे दखलअंदाजी करते है, तथा कहते है, कि हम तुझे जमीन नही करने देगे। कई बार अप्रार्थी क्रम 1 व 2 मवेशियो से फसल को नुकसान पहुँचाने की असफल कोशिश भी की। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि पर एक तरफ तारफेंसिग करवा रखी है। प्रार्थीया एक महिला है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 से मुकाबला करने मे पूर्णतया अमसमर्थ है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को अधिकार नही है, कि वह प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करे। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अनावश्यक रूप से धमका कर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर नया रास्ता भी कायम करना चाहते है, जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का खेत काफी दूर है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉ (राज.)

Scanned by CamScanner

शामलाती भूमि होने के कारण उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र मे साहखातेदार अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को पक्षकार बनाया है, जो प्रार्थना–पत्र मे औपचारिक पक्षकार है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त की भूमि किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके माल छबडा के 3/5 भाग पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। वाद कारण अन्तिम रूप से दिनांक 21.07.2017 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादिया के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, तथा कहने लगे की हम तुमको जमीन नही करने देगे, अब तू हमे जमीन बेच, वादिया के मना करने पर प्रतिवादीगण लड़ने–झगड़ने पर आमादा हुये। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादिया के पक्ष मे आशय की डिक्री फरमाई जावे, कि वादिया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 440 की भूमि खसरा नंबर 929 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 984 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 12 बिस्वा कुल किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके माल छबडा तहसील छबड़ा मे वादिया के हिस्से 3/5 भाग पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। वादिया को शांतिपूर्वक काश्त करने दे, ऐसा कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो के विरूद्ध जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणो की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। अभिभाषक वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 441 पेश की है, एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 437 पेश की। अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश करना नही चाहते, सीधे ही बहस करना चाहते है। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक वादी का कथन है, कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 440 की भूमि खसरा नंबर 929 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 984 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 12 बिस्वा कुल किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके माल छबडा तहसील छबडा मे स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 3/5 है, तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 3 तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 5 का है। सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त कर रहे है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को अधिकार नही है, कि वह प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करे। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अनावश्यक रूप से धमका कर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर नया रास्ता भी कायम करना चाहते है, जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का खेत काफी दूर है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त की भूमि किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके माल छबडा के 3/5 भाग पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। वादिया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 440 की भूमि खसरा नंबर 929 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 984 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 12 बिस्वा कुल किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके माल छबड़ा तहसील छबड़ा मे वादिया के हिस्से 3/5 भाग पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। वादिया को शांतिपूर्वक काश्त करने दे, ऐसा कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है, कि विवादित आराजीयात के प्रतिवादी क्रम 3 व 4 सहखातेदार है, तथा विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी के होने से प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होने से सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । विवादित आराजीयात के पास ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की भूमि अवस्थित है, जिसका रास्ता भी भूमि खसरा नंबर 929 मे पूर्वी मेढ के सहारे से होकर है, जिसे वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को आने–जाने से रोकने का असफल प्रयास करने पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से वादिया के विरूद्ध धारा 151 आर.टी.एक्ट आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे वादिया को उक्त रास्ते मे होकर आने–जाने से नही रोकन का आदेश पारित किया, तथा वादिया को रास्ता खुलासा करने के लिए पाबन्द किया गया। वादिया क्रम 2 व 3 विवादित आराजीयात के सयुक्त खातेदारी होने से उन्हे अपने हिस्से की भूमि पर आने–जाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने मे बाधा उत्पन्न करने का वादीया को कोई कानूनी अधिकार नही है।

वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 जो सयुक्त खातेदार है, अपने कब्जे काश्त की आराजी का बटवारा विभाजन कराना चाहती है, ताकि भविष्य मे इनके मध्य सीमा व रास्ता को लेकर कोई विवाद न हो। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराने के अधिकारी है, तथा आने–जाने के रास्ते खसरा नंबर 929 में कायम कराने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगणो का अपनी कृषि आराजीयात पर आने–जाने व कृषि उपज उत्पन्न करने हकाई जुताई, खाद बीज व फसल लाने ले जाने के उपयोग मे भूमि खसरा नंबर 929, 930 व 932 की पूर्वी मेढ के सहारे उसके बाद खसरा नंबर 932, 931, 938 की उत्तरी मेढ के सहारे होते हुये खसरा नंबर 960, 958, 951, 956 के मध्य होकर आम रास्ता खसरा नंबर 823 मे होकर है। जो वर्तमान मे चालू है। जिसे वादिया अवैध रूप खसरा नंबर 929 की पूर्वी मेढ पर रोकना चाहती है, जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः निवेदन है, कि प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वाद वादी मय हर्जा खर्जा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम छबड़ा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 441 कुल खसरा नंबर 407 रकबा 3.05 बीघा मे वादिया का हिस्सा 3/5 एवं प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/5 प्रतिवादी क्रम 4 का हिस्सा 1/5 दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम छबड़ा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 437 कुल खसरा नंबर किता 2 रकबा 4.11 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खातेदारी मे दर्ज है। इससे साबित होता है, कि विवादित आराजी वादिया एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है। वादिया प्रतिवादीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहती है, जबकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर विवादित आराजीयात का पृथक–पृथक अच्छी मे से अच्छी और बुरी मे से बुरी भूमि का मौके की स्थिति के अनुसार आने–जाने का रास्ता सहित बटवारा कराना चाहते है। जिससे खाता विभाजन होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो सके। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		

Scanned by CamScanner

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम छबड़ा खसरा नंबर 929 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 984 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 12 बिस्वा कुल किता सात रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा मे से अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी मौके की स्थिति के अनुसार खेत पर आने–जाने के रास्ते को ध्यान मे रखते हुये पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसील छबड़ा को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

([illegible]किशोर राजोरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

Scanned by CamScanner